[ 2018 ] 13 एस. सी. आर 868

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ और ए. एन. आर.

वी.

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

( आपराधिक अपील सं। 1258-1259 2018 का)

नवंबर 02,2018

[ ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482 एफ. आई. आर. एस. को रद्द करना

- तत्काल मामले में, सरकार द्वारा भूमि का पट्टा अपीलार्थी नं. 1 विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए-ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई थी-ए

क्लब हाउस का निर्माण आवंटित भूमि के बुनियादी ढांचे की ओर से किया गया था-एक और भूमि वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने के लिए आवंटित की गई थी और उस पर एक होटल का निर्माण किया गया था-अपीलकर्ता नॉल शुरू में था एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत जो बाद में एक कंपनी में परिवर्तित हो गई

—

अपीलार्थियों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अवैध होने का आरोप लगाते हुए दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं

अपीलार्थी सं. को भूमि का पट्टा प्रदान करना। 1 - एसएस के तहत एक। 406 , 420 , 120 बी आई. पी. सी. और एस. 13 ( 2 ) पी. ओ. सी. अधिनियम और एस. के तहत एक अन्य। 447 आर/डब्ल्यू एस। 120 बी, 3 पी. डी. पी. पी. अधिनियम, 1984 और एस. 13 ( 2 ) पी. ओ. सी. अधिनियम-उच्च न्यायालय ने एफ. आई. आर. को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया

अपीलार्थियों का तर्क कि यह प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना का मामला था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थियों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया था, विशेष रूप से जब भूमि के पट्टा देने का निर्णय लेने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को इस आधार पर छोड़ दिया गया था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था।

पट्टा अनुदान में शामिल सरकारी अधिकारियों पर अभियोग नहीं लगाया गया था या अभियोजन के अभाव में कार्रवाई नहीं की गई थी-पट्टा अनुदान में निर्णय लेने में सक्रिय भाग लेने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों को क्रमशः प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था-अभियोजन के

अनुसार भी, अधिकारियों की ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने उचित प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन किया था-जहां तक एस के तहत सोसायटी को गैर-लाभकारी कंपनी में परिवर्तित करने का संबंध है। 25 कंपनी अधिनियम, 1956 का संबंध था, यह बी. सी. सी. आई. के आदेश के अनुसार किया गया था-इसमें आपराधिकता का कोई तत्व नहीं था-अपीलार्थियों द्वारा एस. के तहत दायर कार्यवाही में। 482 , प्रतिवादी नंबर 2 (सीएम) को आरोपित किया गया था, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण आरोपों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था-चूंकि, धोखाधड़ी/धोखाधड़ी या आपराधिक का कोई मामला नहीं है

868 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश का राज्य

विश्वासघात किया गया था, प्रतिवादी संख्या 2 की इन कार्यवाहियों में खेलने के लिए ज्यादा भूमिका नहीं थी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन मामलों पर मुकदमा नहीं चलाने के लिए लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, अन्यथा भी, इन कार्यवाहियों को जारी रखने में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

-

एफ. आई. आर. एस. तदनुसार निरस्त कर दिया गया-दंड संहिता, 1860-एस. 406 , 420 , 120 बी, s.447 r/ws। 120 बी-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम - एस. 13 (2)

–

सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 - धारा 3-हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 - आर. 8.

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़ना: 1. अपीलार्थी नं. 1 को भूमि का पट्टा दिया गया था जिस पर

क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया और उसके बाद क्लब हाउस के लिए अतिरिक्त भूमि और पूरक पट्टे के लिए पट्टे पर दिया गया।

वाणिज्यिक गतिविधि अर्थात होटल के लिए। यह केवल उस भूमि के संबंध में है जो क्रिकेट स्टेडियम के लिए है कि एच. पी. पट्टा नियम, 1993 के नियम 8 के प्रावधान को लागू करके प्रति माह 1/- रुपये का किराया लेने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इस प्रकार, यह कानून के विपरीत नहीं था।

जमीन, जो हिमाचल प्रदेश का गौरव बन सकती है, नाममात्र किराए पर। जहां तक क्लब हाउस के संबंध में पट्टे और वाणिज्यिक गतिविधि (यानी होटल) के लिए पूरक पट्टे का संबंध था, पट्टे की राशि पट्टे के नियम, 2011 के अनुसार, वाणिज्यिक दरों पर तय की गई थी। शायद ही कोई तत्व हो सकता है इन आबंटनों में आपराधिकता क्योंकि राज्य सरकार के छह बहुत वरिष्ठ अधिकारी (उनमें से चार आई. ए. एस. संवर्ग के और एक हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का था) जिन्होंने मामले की जांच की थी और उनकी मंजूरी के बाद ही आबंटन किए गए थे। उन्हें कोई दोषी नहीं ठहराया गया था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। [ पारस 37] [901-जी-एच; 902-ए-सी]

2. दो प्राथमिकियों में सात आई. ए. एस. अधिकारी, एक अधिकारी शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से संबंधित और हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में धर्मशाला डिवीजन के एक कार्यकारी अभियंता ने एक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या दूसरा। जहां तक युवा सेवा और खेल विभाग के निदेशक-सह-विशेष सचिव का संबंध है, उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की और नियमों का उल्लेख नहीं किया।

पट्टा नियम, 1993 के प्रावधान। उन्होंने एक [2018] 13 एस. सी. आर. पर भी हस्ताक्षर किए थे।

पट्टा विलेख। सारी प्राथमिकियां इस आधार पर आगे बढ़ीं कि अपीलकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ इन अधिकारियों के साथ साजिश रची। निदेशक-सह-विशेष सचिव के खिलाफ आरोप यह था कि प्रति माह 1/- रुपये का किराया तय करने में, उन्होंने न केवल नियमों की अनदेखी की और अपनी टिप्पणियों में इसका उल्लेख भी नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह कथित साजिश में एक पक्ष थे। इसी तरह के आरोप अन्य आठ व्यक्तियों के खिलाफ भी विभिन्न चरणों में उनकी भूमिका का आरोप लगाते हुए लगाए गए थे।

इसके बावजूद, तीन अधिकारियों पर इस कथित आधार पर भी आरोप नहीं लगाया गया कि पर्याप्त सबूत और दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे। अन्य अधिकारियों के संबंध में, सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। कुछ अधिकारियों के मामले में, राज्य सरकार ने अभियोजन के लिए पहले मंजूरी दी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। दो ग्राम पंचायत सदस्य थे, जिन्होंने क्लब हाउस के लिए भूमि आवंटन के लिए अनापत्ति जारी की थी, जिन पर मुकदमा चलाया गया था। ये तीनों अधिकारी लोक सेवक थे जो अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में बने हुए हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई पूरी साजिश की कहानी में, उच्च

सरकारी अधिकारियों को जानबूझकर छोड़ दिया गया और वे बहुत छोटे थे

अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पी. सी. अधिनियम के तहत एक मामला अपीलार्थियों के संबंध में भी जीवित रहे जो लोक सेवक नहीं हैं। अन्यथा भी, जब उक्त आठ व्यक्तियों पर अभियोजन के अभाव में आरोप नहीं लगाया गया था या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी, तो इसने अपीलार्थियों के आरोपों को उनके अभियोजन के उद्देश्यों को आरोपित करने में समर्थन दिया। [ पैरा 41] [903-बी-एच; 904-ए-बी]

3. उनकी ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं किया गया था और तथ्य किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं; जिन अधिकारियों ने मामले को संसाधित किया

अपीलार्थियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया; निर्णय लेने में सक्रिय भाग लेने वाले दो अधिकारियों को प्रतिवादी नं. 2 और उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया; अभियोजन पक्ष के अनुसार, अधिकारियों की ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं किया गया था और उन्होंने अपने उचित प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन किया जिसके कारण मंजूरी बनी रही।

केंद्र सरकार और सीवीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यह स्वयं दूसरों को किसी भी आपराधिक अभियोजन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है; यहाँ तक कि अन्यथा राज्य सरकार उस भूमि की स्वामी बनी रहेगी जो पट्टे पर है और जिस पर अपीलकर्ताओं ने 150 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों का निर्माण किया है; ये परिसंपत्तियां राज्य की जनता के उपयोग के लिए हैं और उनका उपयोग इस तरह किया जा रहा है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश का राज्य

आरोप पत्र दाखिल करना और संज्ञान लेने का आदेश अंतिम न्यायिक आदेश नहीं है। यह आपराधिक कानून में एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और इसे उच्च न्यायिक मंचों पर चुनौती दी जा सकती है। [ पैरा 42] [904-सी-जी]

अपीलार्थियों का निवेदन कि जब राज्य सरकार उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, यह अपीलार्थियों के पीछे चला गया। यदि बिल्कुल भी हो, तो विषय वस्तु अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के बीच एक दीवानी विवाद था। प्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी/धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का कोई मामला सामने नहीं आया है। चूंकि ये आरोप नहीं लगाए गए हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 की इन कार्यवाहियों में ज्यादा भूमिका नहीं है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह कहते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया है कि वह एक आवश्यक पक्ष नहीं है और यह है

अभियोजन पक्ष का बचाव करना उसका काम नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इन मामलों पर मुकदमा नहीं चलाने के लिए उठाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, अन्यथा भी, इन कार्यवाहियों को जारी रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। [ पैरा 43,44] [904-जी-एच; 905-ए-ई]

5. धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इसका प्रयोग किया जाए। खंड में ही विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है।

इसके अलावा, इस प्रावधान के तहत अंतर्निहित शक्ति नियम नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है। अपवाद केवल तभी लागू होता है जब यह न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि न्याय का गंभीर गर्भपात किया जाएगा यदि मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है जहां आरोपी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है। हालाँकि, जब भी यह पाया जाता है कि मामला इन मापदंडों के चारों कोनों के भीतर आ रहा है, तो इस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय के पास बहुत व्यापक शक्तियाँ हैं। इसका मतलब है कि न्यायालय को कार्य करना होगा बहुत सावधानी के साथ व्यायाम करें। हालाँकि, उच्च न्यायालय [2018] 13 एस. सी. नहीं है।

जब परिस्थितियाँ पक्षकारों के लिए पर्याप्त न्याय करने की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो इसे बाधित किया जाना चाहिए। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने याचिका को एक आदेश के साथ खारिज कर दिया मामले की जांच, जिससे सामग्री एफ. ए. पर प्रकाश डाला गया और यह जांच करने में विफल रहा कि ये प्रासंगिक पहलू यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थे कि कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया था, विशेष रूप से जब निर्णय लेने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था [पैरा 46] [905-जी-एच; 906-ए-बी; 907-जी-एच; 908-ए-बी]

हरियाणा राज्य और अन्य। वी. भजन लाल और अन्य। ( 1992 ) सप. ( 1 ) एस. सी. सी. 335 [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम। एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य। ( 2006 ) 6 एससीसी 736: [ 2006 ] 3 पूरक। एससीआर 704; विनीत कुमार और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. ( 2017 ) 13 एस. सी. सी. 369 [2017] 6 एस. सी. आर. 922 पर भरोसा किया। बिहार राज्य और अन्र। वी. पी. पी. शर्मा और अन्र. 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 222: [ 1991 ] 2 एस. सी. आर. 1; आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम। टेक्सस्पिन इंग. और एम. एफ. जी. वर्क्स, मुंबई (2003) 263 आई. टी. आर. 345; आयकर आयुक्त

( मध्य), लुधियाना बनाम। एम/एस। रीटा मैकेनिकल वर्क्स, लुधियाना (2012) 344 आई. टी. आर. 544; भारत संघ और अन्य। वी. सुशील कुमार मोदी और अन्य। ( 1997 ) 4 एससीसी 770: [ 1997 ]

1 एस. सी. आर. 490; दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस

हजारी कोर्ट, दिल्ली बनाम। गुजरात राज्य और अन्य। ( 1991 ) 4 एससीसी 406: [ 1991 ] 3 एस. सी. आर. 936; मोनिका कुमार और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ( 2008 ) 8 एससीसी 781: [ 2008 ] 9 एससीआर 943; सी. के. जाफर शरीफ बनाम राज्य (2013) 1 एस. सी. सी 205: [ 2012 ] 10 एस. सी. आर. 1079; आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम। केरल राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 700: [ 2003 ] 2 एस. सी. आर. 436; ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य। ( 2014 ) 2 एससीसी 1: [ 2013 ] 14 एससीआर 713; ए. पी. बनाम राज्य गोलकोंडा लिंग स्वामी और अन्र। ( 2004 ) 6 एस. सी. सी. 522 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 147; उमेश कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। ( 2013 ) 10 एससीसी 591: [ 2013 ] 14 एस. सी. आर. 212; तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी. के. श्याम

सुंदर और ओआरएस। ( 2011 ) 8 एससीसी 737: [ 2011 ] 11 एससीआर 1094;

आंध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संगठन v.

राज्य हिमाचल प्रदेश

फेड्रेशन वी। बी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य। ( 2011 ) 9 एससीसी 286 [ 2011 ] 14 एस. सी. आर. 1; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम

निशांत सरीन (2010) 14 एससीसी 527 [2010] 13 एससीआर

1200 ; उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1963] 1 एस. सी. आर. 778;

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र और अनर. ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1: [ 1966 ] एससीआर 744;

उत्तरी निगम बनाम। भारत संघ और अन्य। ( 1990 ) 4 एससीसी 239: [ 1990 ] 3 एस. सी. आर 621 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[ 1991 ] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

( 2003 ) 263 आई. टी. आर. 345

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

( 2012 ) 344 आईटीआर 544

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[ 1997 ] 1 एससीआर 490

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[ 1991 ] 3 एससीआर 936

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[ 2008 ] 9 एससीआर 943

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[ 2012 ] 10 एससीआर 1079

पैरा

22

संदर्भित किया गया है

[ 2003 ] 2 एससीआर 436

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[ 1990 ] 3 पूरक। एससीआर 259

उस पर भरोसा करें

पैरा

23

[ 2017 ] 6 एससीआर 922

उस पर भरोसा करें

पैरा

23

[ 2013 ] 14 एससीआर 713

पैरा

26

संदर्भित किया गया है

[ 2006 ] 3 पूरक। एससीआर 704

उस पर भरोसा करें

पैरा

27

[ 2004 ] 3 पूरक। एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[ 2013 ] 14 एस. सी. आर. 212

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[ 2011 ] 11 एससीआर 1094

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[ 2011 ] 14 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[ 2010 ] 13 एससीआर 1200

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[ 1963 ] 1 एससीआर 778

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[ 1966 ] एससीआर 744

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[ 1990 ] 3 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 1258-1259 2018 का

शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.04.2014 से। एमएमओ। 2014 का नंबर 6।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सीआरएल।) 2017 का सं. 135।

अशोक शर्मा, अधिवक्ता। जनरल, पी. एस. पटवालिया, अनूप जॉर्ज

चौधरी, श्रीमती जून चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, स्नेहाशीष मुखर्जी, मनीष कुमार, अक्षय अमृतांशु, अजय मारवाह, परमात्मा सिंह, डी. के. ठाकुर, शारिक

अहमद, कुणाल वर्मा, वरिंदर कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. इनमें से दो एफ. आई. आर. विषय हैं।

अपीलें करें। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 406,420,120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पी. सी. अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत 1 अगस्त, 2013 को 2013 की एक एफ. आई. आर. संख्या 12 दर्ज की गई है। 2013 की दूसरी एफ. आई. आर. संख्या 14 दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 447 के तहत है।

सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम, 1984 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2)। अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर कीं।

1973 ( Cr.P.C.) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए। इन याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल, 2014 के सामान्य फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। उस फैसले पर तत्काल अपीलों में आपत्ति की जाती है। जब विशेष अनुमति याचिकाएं (जिनमें से ये अपीलें उठती हैं) दायर की गईं, तो 5 जनवरी, 2015 को इसका नोटिस जारी किया गया और विशेष न्यायाधीश, कांगड़ा के समक्ष लंबित उक्त प्राथमिकियों से उत्पन्न मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी गई।

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। उस ठहराव को समय-समय पर बढ़ाया गया है और इसलिए यह जारी है।

2. इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जाँच पूरी हो गई थी। जिस दिन उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था,

विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए गए थे। उक्त आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन v भी दायर की है।

हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

( आपराधिक) 2017 की सं. 135 इस न्यायालय में इन आरोप पत्रों को रद्द करने की मांग करती है। इन दोनों कार्यवाहियों को एक साथ जोड़ा गया और एक साथ सुना गया, जिसे हम इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करते हैं।

3. अपीलार्थी नं. 1 हिमाचल प्रदेश का एक क्रिकेट संघ है।

जिसे शुरू में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 8 जून, 1990 के पंजीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। उस पर

15 सितंबर, 2001 को अपीलकर्ता संख्या 1 ने विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के विकास और निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया और इसके परिणामस्वरूप, आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा) ने कुछ शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश युवा सेवा और खेल विभाग को भूमि हस्तांतरण की अनुमति दे दी। हिमाचल प्रदेश युवा सेवा और खेल निदेशक के माध्यम से अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच 29 जुलाई, 2002 को एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।

31 अगस्त, 2005 को इसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ में बदल दिया गया। 4. धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट का निरीक्षण किया

अपीलार्थी नं. 1 द्वारा धर्मशाला में विकसित की जा रही आधारभूत संरचना और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया कि आवास की गुणवत्ता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ती है। कुछ और सुविधाओं और वांछित गुणवत्ता के होटल आवास की आवश्यकता पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

5. इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने पट्टे पर दी गई भूमि पर एक क्लब हाउस बनाने का फैसला किया। वहाँ बेकार ज़मीन का एक टुकड़ा भी था।

स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि के बीच में। इस उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 ने निदेशक, युवा सेवा और खेल को अपने 3 जुलाई, 2008 के पत्र के माध्यम से 720 वर्ग मीटर के स्टेडियम से सटे अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए अनुरोध किया। चूँकि यह ग्राम पंचायत की भूमि थी, इसलिए अपीलार्थी संख्या 1 को इसके आवंटन के लिए भी इसकी सहमति की आवश्यकता थी। इस प्रकार, अपीलार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से संपर्क किया। अपीलार्थी नं. 1 और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के बीच बैठकों के अनुसार, उपराली धारी विकास प्रभाग के सदस्य,

धर्मशाला, उक्त ग्राम पंचायत ने भूमि के आवंटन के लिए कोई आपत्ति जारी नहीं की। अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए अपीलार्थी संख्या 1 का प्रस्ताव [2018] 13 एस. सी. आर.

अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। प्रत्यर्थी नं. 1 ने 16 नवंबर, 2009 के पत्र के माध्यम से इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार को ए. सी. एस.-सह-एफ. सी. राजस्व के समक्ष मोहाली कांड मौजा खानयारा, तहसील में सरकारी भूमि को पट्टे पर देने की मंजूरी के लिए उठाया। धर्मशाला, जिला कांगड़ा, अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में 3-28-06 हेक्टेयर में मापा गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 16 नवंबर, 2009 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में उपरोक्त भूमि को पट्टे पर देने की मंजूरी दी, जिसे 18 नवंबर, 2009 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। परिणामस्वरूप, तहसील धर्मशाला के मोहल कंद मौज खानयारा में स्थित उक्त भूमि के पट्टे के लिए अपीलार्थी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।

6. धर्मशाला में स्टेडियम परिसर में "अवेदा एच. पी. सी. ए. क्लब हाउस" के नाम और शैली के तहत क्लब हाउस का निर्माण किया गया था। पूर्णता प्रमाण पत्र 10 मार्च, 2011 को जारी किया गया था और कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, धर्मशाला की अनुमोदित योजना के अनुसार सभी पहलुओं में पूर्ण प्रमाणित किया गया था। धर्मशाला के नगर और ग्राम योजना विभाग ने भी क्रिकेट गतिविधियों के लिए क्लब हाउस के रूप में क्रिकेट स्टेडियम के बुनियादी ढांचे के हिस्से का उपयोग करने के लिए 15 मार्च, 2011 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 8 सितंबर, 2011 के अपने पत्र के माध्यम से क्लब हाउस की आवास सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शुल्क को भी मंजूरी दी।

7. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.)

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को अपने कार्यकाल के दौरान खुद को "लाभ के लिए नहीं" सोसायटी से "लाभ के लिए नहीं" कंपनी में बदलने की अनुमति 19 सितंबर, 2011 को आयोजित वार्षिक आम बैठक। देश भर में अधिकांश क्रिकेट संघ अपने मामलों के बेहतर और पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था से खुद को एक गैर-लाभकारी कंपनी में परिवर्तित कर रहे हैं।

यह समझते हुए कि जब तक स्टेडियम में खेलने वाली टीमों और संबंधित अधिकारियों के लिए विश्व स्तरीय आवास उपलब्ध नहीं है

ऐसी टीमों के साथ, धर्मशाला में आयोजन स्थल जिसे अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपने स्वयं के कोष से बड़ी मेहनत से विकसित किया जा रहा था यदि इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है और राज्य क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने में विफल हो जाता है, तो अपीलार्थी संख्या 1 और उसके पदाधिकारियों ने ऐसे उद्देश्यों के लिए एक विश्व स्तरीय मोटल के निर्माण के लिए एक विधि पर काम करना शुरू कर दिया।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

कंडी में अतिरिक्त भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधि को सक्षम करने वाला पट्टा बशर्ते कि पट्टा राशि पट्टा नियम, 2011 के अनुसार ली गई हो। अपीलार्थी संख्या 1 और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच एक पूरक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था जिससे अतिरिक्त भूमि का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सके। वाणिज्यिक होटल सहित उक्त भूमि पर विकास के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी। "द पवेलियन" के नाम और शैली के तहत निर्मित होटल ने राज्य के पर्यटन विभाग के साथ पंजीकरण प्राप्त किया और शुल्क आदि भी उक्त विभाग द्वारा 26 सितंबर, 2012 को तय किए गए थे। इस बीच, 22 सितंबर, 2012 को अपीलकर्ता संख्या 1 कंपनी द्वारा सोसायटी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। 1 अक्टूबर, 2012 का समझौता भी दोनों देशों के बीच निष्पादित किया गया था।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (सोसायटी) और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (कंपनी) सोसाइटी को खुद को एक कंपनी में बदलने में सक्षम बनाने के लिए। तदनुसार, सोसायटी को एक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी से एक गैर-लाभकारी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया और कंपनी पंजीयक को उचित समय पर इसके बारे में सूचित किया गया। 8. कुछ महीनों के भीतर, उपरोक्त घटनाओं से, हिमाचल प्रदेश राज्य में राजनीतिक कार्यपालिका में बदलाव आया।

विधान सभा के चुनावों के अनुसार। अपीलार्थियों के अनुसार, राजनीतिक शक्ति के परिवर्तन के साथ, नई सरकार द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ आक्रोश शुरू किया गया। वास्तव में, चुनाव के दौरान भी

अभियान में, कांग्रेस (आई) ने एक 'कांग्रेस आरोप पत्र' प्रकाशित किया था जिसमें अपीलार्थियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। अपीलकर्ता विभाग हरकत में आया और जानकारी [2018] 13 एस. सी. आर. मांगना शुरू कर दिया।

विभिन्न पहलुओं पर अपीलकर्ताओं से, हालांकि यह जानकारी राज्य सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध थी। 2013 की एक औपचारिक एफ. आई. आर. संख्या 12 दिनांक 1 अगस्त, 2013 को दर्ज की गई थी, जो अपीलार्थियों के अनुसार, उक्त 'कांग्रेस आरोप पत्र' का परिणाम है। वास्तव में, उससे कुछ समय पहले, एक विनय शर्मा द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत की गई थी, जिसमें विशेष न्यायाधीश, कांगड़ा द्वारा 02 जुलाई, 2013 को आदेश पारित किए गए थे कि पुलिस अधिकारियों को उक्त मामले की जांच करने और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। इस प्रकार, दो समानांतर कार्यवाही शुरू की गईं।

9. अपीलार्थियों का आगे का आरोप यह है कि जाँच की व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निगरानी की गई थी जो इसमें प्रमुख थे।

उस समय मंत्री। उन्होंने समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक बयान भी दिए थे कि वे क्रिकेट संघ और इसकी संपत्तियों के पूरे कार्य को संभालने में रुचि रखते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार,

प्रत्यर्थी संख्या 2 के कहने पर, यहां तक कि सोसायटी पंजीयक, हिमाचल प्रदेश ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत कंपनी के गठन और सोसायटी की संपत्तियों को लेने के मुद्दे पर 7 सितंबर, 2013 को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के खिलाफ, 2013 की रिट याचिका संख्या 7593 दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय ने सोसायटी पंजीयक के 7 सितंबर, 2013 के नोटिस में लगाए गए आरोपों को स्थगित रखते हुए आदेश पारित किए थे।

10. 3 अक्टूबर, 2013 की 2013 की एक अन्य एफ. आई. आर. संख्या 14 अपीलार्थियों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई।

आई. पी. सी. की धारा 120बी के साथ पठित धारा 447, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपराध। प्रत्यर्थियों द्वारा कई अन्य कार्रवाई की गईं, जो अपीलार्थियों के अनुसार दुर्भावनापूर्ण चालें थीं।

जिसे उचित स्तर पर बनाया जाएगा। इस मोड़ पर, अपीलकर्ताओं ने 2013 की एफ. आई. आर. संख्या 12 को रद्द करने की मांग करते हुए 6 जनवरी, 2014 को आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत याचिका दायर की, जिसे 25 अप्रैल, 2014 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। 11. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में आई. डी. 1 की धारा 482 के दायरे में उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित इस न्यायालय के फैसलों पर ध्यान दिया है। इसके बाद, यह पाया गया है कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद, जांच की गई है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि उपरोक्त एफ. आई. आर. में आरोपी बनाए गए 18 व्यक्ति प्रथम दृष्टया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बनाम आयोग में शामिल हैं।

अपराधों से। इस आधार पर, इसने अपीलार्थियों के इस तर्क को दरकिनार कर दिया है कि यह प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना का मामला था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तथ्यों के आधार पर दुर्भावनापूर्ण आरोपों का कोई परिणाम नहीं है और कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए,

बिहार और अन्र राज्य में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है। वी. पी. पी. शर्मा और Anr.[1] इसने यह भी देखा है कि अन्यथा भी, फाइल इस स्तर पर यह खुलासा नहीं करती है कि यह दुर्भावनापूर्ण मामला कैसे है। उच्च न्यायालय की राय में, ऐसी परिस्थितियों में, मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष का परीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि एफ. आई. आर. और जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट से पता चलता है कि मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है। चूंकि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग सावधानीपूर्वक, सावधानीपूर्वक और दुर्लभतम मामलों में किया जाना है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। हम यहां यह भी दर्ज कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियों में से एक यह थी कि अपीलार्थी संख्या 2 और अन्य व्यक्ति लोक सेवक नहीं हैं और इसलिए, उनके खिलाफ पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। यह तर्क इस आधार पर भी निराधार पाया गया है कि अपीलकर्ताओं के साथ कुछ अभियुक्त व्यक्ति लोक सेवक हैं और यह भी कि प्राथमिकी में आरोप यह है कि इन सभी अभियुक्त व्यक्तियों के पास है

षड्यंत्र और अपने लिए गलत लाभ और राज्य को गलत नुकसान, इस प्रक्रिया में, अधिकारियों ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का पक्ष लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

12. श्री पटवालिया, की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

आरंभ में, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि एम/एस। सुभाष अहलूवालिया, सुभाष नेगी, अजय शर्मा, दीपक सनन और टी. जी. नेगी, जो आई. ए. एस. अधिकारी हैं, तीन पट्टों के अनुदान से जुड़े थे। वे मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने यह निर्णय लेने में सक्रिय भाग लिया कि तीन पट्टे अपीलार्थियों को दिए जाने चाहिए और उस आधार पर अंतिम निर्णय लिया गया। हालाँकि, जहाँ तक इन अधिकारियों का संबंध है, अभियोजन की मंजूरी या तो अस्वीकार कर दी गई है या उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से संबंधित श्री गोपाल चंद को अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उनके मामले में भी, हालांकि पहले दी गई मंजूरी वापस ले ली गई थी। उन्हें आईएएस कैडर के रूप में भी पदोन्नत किया गया है। श्री पटवालिया ने उन अधिकारियों की सारणीबद्ध स्थिति प्रस्तुत की जिन्होंने कथित रूप से अपीलार्थियों के साथ साजिश रची है, जो निम्नानुसार है:

1 1 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 222 [2018] 13

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

$ 1 . नाम

एफ. आई. आर. सान के अनुसार भूमिका में पद

कथित समय

नहीं। अधिकारी

अपराध

धाराओं के तहत 2013 की एफ. आई. आर. संख्या 12 दिनांक 01.08.2013

406 / 420 / 120 बी आई. पी. सी. और धारा 13 (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

सुभाष

आई. ए. एस., निदेशक-श्री सुभाष नहीं

1

अहलुवालिया

अहलूवालिया,

चा में

सह-विशेष

का समय

सचिव,

( नहीं।

पट्टे का अनुदान

युवावस्था

एना

सेवाएँ और

ई. वी. सी.

खेलकूद

सरकार

में से

एचपीसीए को जमीन

विभाग,

द माल

सरकार के लिए

अंतरंगता

हिमाचल का निर्माण

) .

क्रिकेट

प्रदेश।

स्टेडियम में

नजरअंदाज किया गया

द.

नियम और थे

उल्लेख नहीं किया गया

प्रावधान

पट्टे के नियम,

1993 उनमे

अहलूवालिया थे

एक हस्ताक्षरकर्ता

पट्टा विलेख

दिनांकित

29.07.2002 .

आई. एम. ए. सी. ए. एल. पी. ए. आर. ए. डी. ए. एस. ए. एस. ए. एस

का निर्माण

क्रिकेट

स्टेडियम में

नज़रअंदाज़ किया

नियम और थे

उल्लेख नहीं किया गया

प्रावधान

पट्टे के नियम

1993 उनमे

नोट करना।

टी जी नेगी

आईएएस, प्राचार्य

एस. टी. जी. नेगी नॉट

कोई प्रयास नहीं किया आरोप लगाया

सचिव,

युवा सेवाएँ अस्वीकार करती हैं

का (नहीं)

और

खेल टिप्पणियाँ

एस. काफी है

आरोपित

विभाग,

शर्मा का सबूत

अजय की सरकार

इसके बजाय

दुर्भावनापूर्ण

हिमाचल

और

इरादा)

।

प्रदेश।

अग्रेषित किया

के लिए

एक ही

की मंजूरी

मुख्यमंत्री।

अजय शर्मा

आई. ए. एस. निदेशक-2008 में, फिर अभियोजन

सह-विशेष मुख्यमंत्री की मंजूरी

पी. के. धूमल ने अस्वीकार कर दिया

सचिव,

केंद्रीय

युवा सेवाओं ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को चिह्नित किया

[ 2018
]

और एच. पी. सी. ए. सरकार का खेल अनुप्रयोग विभाग, अनुमति के लिए

क्लब का सरकारी निर्माण 25

हिमाचल हाउस और उसके

फा
यदे

व्यावसायिक उपयोग के लिए

प्रदेश।

सा
न

एस. अजय शर्मा और

के
साथ

उसे तैयार करने के लिए कहा

द.

के लिए प्रस्ताव

गव
.

एस. अजय

एक ही।

पर

शर्मा गाली-गलौज करते हुए

उनकी आधिकारिक स्थिति 09 है।

प्रस्तावित

के लिए

के लिए अनुमति

जमीन केवल पट्टे पर दी गई थी।

निर्माण के लिए

क्रिकेट स्टेडियम और

अपने कार्यालय का दुरुपयोग करते हुए

आपराधिक साजिश

के साथ

एचपीसीए,

शर्तों के विपरीत

और शर्तें

पट्टा विलेख है

प्रदान किया गया

अनुचित

एचपीसीए को लाभ

और राज्य को नुकसान

सरकार।

आई. एम. ए. सी. ए. एल. पी. ए. आर. ए. डी. ए. एस. ए. एस. ए. एस

परिषद की

पर

मंत्री। एस.

09.0

4.2018 .

दीपक सनन

यह भी बताया गया कि

पट्टे के नियम,

2011 , उस पर

जिसके आधार पर

पूरक

लीज

था।

निष्पादित किया,

में

के अनुसार

नियम 9 के साथ।

एचपी एएस,

गोपाल अभियोजन

गोपाल चंद

एस.

अतिरिक्त

चंद

मंजूरी थी

सचिव,

अनुशंसा की गई

।

03.04.2014

के लिए

राजस्व

वाणिज्यिक उपयोग वापस ले लिया

गया

विभाग,

राज्य द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि

सरकार

सरकार में हिमाचल से एच. पी. सी. ए.

प्रदेश

मोहल कांड ऑन

और चिह्नित किया

03.0

8.2016 .

श्री को फाइल करें।

को

पदोन्नत किया गया

दीपक सनन,

आईएए

स।

जबकि इसके तहत

की अनुसूची 20

द बिजनेस

नियम,

उन्होंने

अनुशंसित

बात यह है कि

कैबिनेट में ले जाया जाए।

धारा 447/120 के तहत 2013 की एफ. आई. आर. संख्या 14 दिनांक 03.10.2013

आई. पी. सी., सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम की धारा 3

अधिनियम, 1984 और भ्रष्टाचार निवारण की धारा 13 (2)

आई. ए. एस., डिप्टी ऑन 14.03.2008, अभियोजन

7

के के पंत

आयुक्त, एस. के. के. पंत पर प्रतिबंध

अध्यक्षता की

एक

अस्वीकार कर दिया

कांगड़ा,

बैठक

हिमाचल

केंद्रीय के

साथ

प्रदेश

अन्य आरोपी, सरकार

बिना

पर

देय 27.03.201 के बाद

प्रक्रिया और

उसके बिना

कोई भी वैधानिक

करने की शक्ति

के लिए

तो,

पुनर्वितरण

शिक्षा की

विभाग और मैकल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

अनुमानों

में खींचा गया

बैठक

थे।

अनुचित लाभ

एचपीसीए के लिए। एस.

के. के

पंत

रिपोर्ट के बारे में

स्थिति

में से

इमारत।

पी. सी. धीमान आई. ए. एस., प्राचार्य श्री पी. सी. धीमान अभियोजन

सचिव पर मंजूरी के लिए एन. ओ. सी. का मुकदमा किया गया है

शिक्षा विभाग ने अस्वीकार कर दिया

युवा सेवा विभाग केंद्रीय

खेल, सरकार

सरकार और

हिमाचल के विपरीत

सिफारिशें 24.08.2015।

प्रदेश

/ की शर्तें

निदेशक, उच्चतर

शिक्षा और

बिना

इसका उल्लेख करते हुए

निपटान

में से

इमारत

में

वसूली की लागत

एचपीसीए से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देवी चंद कार्यकारी

देवी।

चंद अभियोजन

9

जबकि मंजूरी

चौहान,

चौहान

इंजीनियर,

धर्मशाला

काम करना।

के रूप में

अस्वीकार कर दिया

प्रभाग,

कार्यपालक

विभा

ग

इंजीनियर (सिविल), सचिव लेकिन

एचपी पीडब्ल्यूडी

धर्मशाला, अनुशंसित

तब

तक

एचपीपीडब्ल्यूडी

प्रभाग

मुख्य

मंत्री

एस को अग्रेषित किया। वीरभद्र

सिंह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। इसलिए,

फिर एस. डी. ओ. उप-अभियोजन

डिवीजन नं. 1 मंजूरी

धर्मशाला,

पर

दिया गया

के बारे में

23.0

9.2014

जीर्ण-शीर्ण

और

15.10.2

014 का

स्थिति

IV (एफ.

आई. आर.)

प्रकार

नहीं।

दिनांकित

आवास, 14/13

03.1

0.2013 )

बिना

इसके बाद

प्रक्रिया निर्धारित की गई

से नीचे

सरकार की

भारत, मध्य

लोक निर्माण

विभाग

कोड, व्हाइएचसी ने नेतृत्व किया

गैरकानूनी

दो

विध्वंस

में से

मंजिला।

दो

इमारत (प्रकार)

IV

आवास)

शिक्षा की

विभाग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

विद्यमान

के निकट

वर्तमान क्रिकेट

स्टेडियम गेट,

आरोप है कि

सुरक्षा के लिए खतरा

खिलाड़ियों के लिए। इस

प्रकार,
इसका मकसद

इंजीनियर जानबूझकर था

एक दें

इससे एच. पी. सी. ए. को

लाभ

अपने अधिकारी का दुरुपयोग

करना
स्थिति.

13. इस प्रकार, पट्टा देने वाले सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुख्य सरकारी अधिकारियों को छोड़ दिया गया था जो दर्शाता है कि सरकार अपने अधिकारियों की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन साथ ही, राजनीतिक शत्रुता के कारण अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों को शामिल किया गया था।

14. श्री पटवालिया ने उपरोक्त याचिका का विस्तार करते हुए कहा कि पूरा अभियोजन बिना किसी कानूनी आधार के राजनीतिक प्रतिशोध के कारण है और अभियोजन की शुरुआत तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में अपीलार्थी संख्या 1 को अपने नियंत्रण में लेने के असफल प्रयास से होती है।

18 मई, 2005 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के कारण हिमाचल प्रदेश खेल (पंजीकरण, मान्यता और संघों का विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत।

इसके बाद अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। उनके अनुसार, स्वायत्त क्रिकेट संघों के आंतरिक मामलों में राज्य सरकारों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप को देखते हुए, बी. सी. सी. आई. ने अनौपचारिक रूप से ऐसे सदस्य संघों को बेहतर कानूनी अनुपालन, पारदर्शिता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गैर-लाभकारी धर्मार्थ कंपनियों के रूप में खुद को फिर से पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

राज्य सरकारों द्वारा कार्य। तदनुसार, बी. सी. सी. आई. के विभिन्न सदस्य संघों ने खुद को लाभ के लिए धारा 25 में परिवर्तित कर लिया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित धर्मार्थ कंपनियां। अपीलार्थी नं. 1 ने भी बी. सी. सी. आई. के उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप मुकदमे का पालन किया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत हिमालयन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से एक गैर-लाभकारी कंपनी का गठन किया गया था। 31 अगस्त, 2005 को उक्त कंपनी को अपना नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ करने की अनुमति दी गई और उसे निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस दौरान

इस प्रक्रिया में, एच. पी. स्पोर्ट्स (पंजीकरण, मान्यता और संघों का विनियमन) अधिनियम, 2005 निरस्त कर दिया गया और इस बीच सोसायटी को धारा 25 कंपनी में बदलने के लिए कोई और कदम नहीं उठाए गए। इसके बाद, 19 सितंबर, 2011 को, बी. सी. सी. आई. ने अपीलकर्ता संख्या 1 के लंबित अनुरोध को स्वीकार किया कि वह खुद को धारा 25 गैर-लाभकारी कंपनी में परिवर्तित करने की अनुमति दे और उसे मंजूरी दे दी। द्वारा अनुमति के अनुसार बी. सी. सी. आई. ने 22 सितंबर, 2012 को अपीलार्थी संख्या 1 की ए. जी. एम. में सदस्यों द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 सोसायटी को धारा 25 कंपनी में बदलने का संकल्प लेते हुए संशोधन किए। तदनुसार, 1 अक्टूबर, 2012 को सोसायटी को धारा 25 कंपनी में परिवर्तित करने और कंपनियों के पंजीयक को सूचित करने के लिए एक समझौता किया गया था।

एक ही। 31 अक्टूबर, 2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अब धारा 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत अपीलकर्ता संख्या 1 ने हिमाचल प्रदेश राज्य के सोसायटी पंजीयक को कंपनी अधिनियम, 1956 में बदलाव के बारे में सूचित किया।

अपीलार्थियों का ज्ञापन और नियम। इसके अलावा, 02 नवंबर, 2012 को एक बार फिर अपीलकर्ता संख्या 1 की स्थिति को गैर-लाभकारी संस्था से गैर-लाभकारी कंपनी में बदलने के बारे में सूचना दी गई। सोसायटी पंजीयक, हिमाचल प्रदेश राज्य को। इस प्रकार, 1 अक्टूबर, 2012 से, अपीलार्थी संख्या 1 हिमाचल प्रदेश राज्य को कानून के अनुसार अपने पट्टे के किराए और करों का भुगतान करने के लिए उचित सूचना के साथ एक कंपनी के रूप में मौजूद है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आयकर उद्देश्यों के लिए वैधानिक प्रावधानों द्वारा एक फर्म से एक कंपनी में इस तरह के वैधानिक रूपांतरण के प्रभाव पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम के मामले में विचार किया गया है।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

टेक्सस्पिन इंग. और एम. एफ. जी. आयकर आयुक्त (केंद्रीय), लुधियाना बनाम के मामले में वर्क्स, मुंबई और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। एम/एस। रीटा मैकेनिकल वर्क्स, लुधियाना 3 जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

" संपत्ति के निहित होने के बीच अंतर है,

इस मामले में, सीमित कंपनी और संपत्ति के वितरण में। कंपनियों के भाग IX के तहत सीमित कंपनी में निहित होने पर

अधिनियम, संपत्ति कंपनी में निहित होती है जैसा कि वे मौजूद हैं। .....

" वर्तमान मामले में, हम एक साझेदारी फर्म को वैधानिक प्रावधानों के तहत एक कंपनी के रूप में माने जाने से चिंतित हैं।

कंपनी अधिनियम का भाग IX। ऐसे मामलों में कंपनी

फर्म को सफल बनाता है। आम तौर पर, पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के मामले में, दो महत्वपूर्ण तत्व हैं: एक पक्ष और एक विरोधी पक्ष का अस्तित्व और, दूसरा, आने वाला विचार

सीमित कंपनी के पक्ष में निष्पादन योग्य संपत्ति। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फर्म की सभी संपत्तियां लिमिटेड कंपनी में निहित हैं, जिसे फर्म के भाग IX के तहत एक कंपनी के रूप में माना जा रहा है। कंपनी अधिनियम , लेकिन वह
निहितकरण किसी हस्तांतरण के परिणामस्वरूप या आकस्मिक नहीं है। यह कंपनी में संपत्तियों का एक वैधानिक निहितकरण है क्योंकि फर्म को एक सीमित कंपनी के रूप में माना जाता है। कंपनी में वैधानिक रूप से सभी संपत्तियों के निहित होने पर, फर्म को दिया गया लबादा है

एक अलग लबादा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और उसी फर्म को अब एक निश्चित तिथि के बाद एक कंपनी के रूप में माना जाता है।

15. उपरोक्त आधार पर, श्री पटवालिया का निवेदन था कि एक गैर-लाभकारी संस्था का गैर-लाभकारी धर्मार्थ कंपनी में रूपांतरण। जिसकी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति है, उसे अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में पट्टे पर दी गई भूमि की संपत्ति जस की तस बनी हुई है। वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने पट्टे पर दिए गए परिसर में एक विश्व स्तरीय स्टेडियम और एक विश्व स्तरीय होटल का निर्माण किया है। महत्वपूर्ण रूप से, राज्य सरकार भूमि की मालिक बनी हुई है और पट्टे के तहत पट्टे के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए इसे रद्द करने की शक्ति है।

16. उनके द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 26 अक्टूबर, 2013 की मध्यरात्रि को राज्य सरकार ने पट्टों को रद्द कर दिया था और जबरन

2 ( 2003 ) 263 आई. टी. आर. 345 3 ( 2012 ) 344 आईटीआर 544 [2018] 13 एस. सी. आर.

अपीलार्थियों को पट्टे पर दी गई भूमि से बेदखल कर दिया। हालांकि,

05 नवंबर, 2013 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सख्त कर दिया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और पट्टे पर दी गई भूमि का कब्जा अपीलार्थियों को सौंप दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया और 19 नवंबर, 2013 को पट्टे के नोटिस को रद्द कर दिया। इसके बाद, पट्टों को रद्द करने के लिए 23 मई, 2015 को एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसे भी 09 अगस्त, 2018 को वापस ले लिया गया है। वर्तमान में पट्टों को रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

17. श्री पटवालिया ने तर्क दिया कि विशिष्ट आरोप थे

प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ इन कार्यवाही की शुरुआत से ही दुर्भावनापूर्ण है कि कैसे उसने एस. आई. टी. का प्रमुख होकर पहले एफ़. आई. आर. दर्ज कराई और उसके बाद जांच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 का विरोध करने से आचरण

वर्तमान मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद वर्तमान अपीलों में कहा गया है कि वह एक आवश्यक पक्ष नहीं था और अभियोजन पक्ष का बचाव करना उसका काम नहीं था, जो उसकी ओर से दुर्भावना को दर्शाता है। उनके अनुसार, यह एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि जाँच दूषित थी। समर्थन में, उन्होंने भारत संघ और अन्य के मामले का उल्लेख किया। वी. सुशील कुमार मोदी और Ors.4 जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 4. ..... संबंधित एजेंसियों को ध्यान में रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो लॉर्ड डेनिंग द्वारा दी गई सावधानी को याद दिलाया जाना चाहिए।

आर. वी. की ओर से मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमांडर। [ ( 1968 ) 1 सभी ई. आर. 763: ( 1968 ) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 893: ( 1968 ) 2 क्यू. बी. 118] पुलिस आयुक्त के कर्तव्य का संकेत देते हुए लॉर्ड डेनिंग ने इस प्रकार कहा: ( सभी ई. आर. पी.

769 )

" हालाँकि, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि देश के प्रत्येक सिपाही की तरह, उसे भी कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और होना चाहिए। वह राज्य सचिव के आदेश के अधीन नहीं है। मेरा मानना है कि देश के कानून को लागू करना पुलिस आयुक्त का कर्तव्य है, जैसा कि प्रत्येक मुख्य कांस्टेबल का है। उसे करना ही पड़ता है। अपने आदमियों को तैनात करने के लिए कदम उठाएँ ताकि अपराधों का पता लगाया जा सके और ईमानदार नागरिक शांति से अपने काम कर सकें। उसे यह तय करना होगा कि संदिग्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं।

और, यदि आवश्यक हो, तो अभियोजन पक्ष को लाएँ या देखें कि यह लाया गया है; लेकिन इन सभी चीजों में वह किसी का सेवक नहीं है, सिवाय इसके कि

4 ( 1997 ) 4 एस. सी. सी. 770 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

कानून स्वयं। क्राउन का कोई भी मंत्री उसे यह नहीं बता सकता कि उसे इस स्थान या उस पर निगरानी रखनी चाहिए या नहीं; या कि उसे इस व्यक्ति या उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। न ही कर सकते हैं।

कोई भी पुलिस अधिकारी उसे ऐसा बताता है। कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी उसी पर है। वह कानून के प्रति जवाबदेह है और

केवल कानून "।

..... इसमें शायद ही कोई संदेह हो कि पुलिस का दायित्व

हमारी संवैधानिक योजना में भी कोई कमी नहीं है।

18. श्री पटवालिया ने अभिलेख में रखे गए विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया

और तर्क दिया कि वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे कि अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टों की मंजूरी से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिए गए थे। इसलिए, अपीलार्थियों और अन्य लोगों द्वारा कोई गलत, बहुत कम दोषपूर्ण गलत नहीं किया गया था। उन्होंने विशेष रूप से इस आरोप का उल्लेख किया कि रुपये की सांकेतिक दर पर पट्टा देने का कोई प्रावधान नहीं है। 1 / - लागू पट्टे के नियमों के तहत प्रति माह। उनका जवाब था कि यह तर्क पूरी तरह से गलत है। अपीलार्थियों के पट्टे एच. पी. पट्टा नियम, 1993 के तहत दिए गए थे। अपीलकर्ता आई. सी. सी. को अनुदान देने में सक्षम बनाने के लिए संबद्ध विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एक क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करना चाहते थे।

हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय खेल और इस प्रकार, राज्य के विकास के हित में नियम 4 (vii)- सार्वजनिक उद्देश्य के तहत पट्टे के अनुदान के लिए पात्र थे। अपीलार्थी नियम 5 के तहत प्रदान की गई छूट के संदर्भ में बड़े क्षेत्रों के अनुदान के लिए भी पात्र थे। वास्तव में, भूमि को रुपये की सांकेतिक दर पर पट्टे पर देने का निर्णय। 1 / - क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रति माह एक सुविचारित प्रशासनिक कार्य था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के हित में निर्णय लिया गया है और धर्मशाला को विश्व मानचित्र पर रखा गया है। संबंधित अधिकारियों की सलाह और प्रस्तुति पर विचार करने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। अपीलार्थियों के पास आर. टी. आई. दस्तावेज

27 मई, 2002 के मंत्रिमंडल के निर्णय को निम्नानुसार दर्ज कीजिए:

" मद सं. 14 हिमाचल प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

( गोपनीय और मंत्रिमंडल)

विषयः निर्माण के लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर देना

धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लेकर एच. पी. क्रिकेट एसोसिएशन तक सामान्य नियमों और शर्तों पर।

" मंत्रिमंडल ने पट्टा दरों के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। एडी द्वारा बताए गए परियोजना के लाभों पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भूमि रुपये की सांकेतिक दर पर पट्टे पर दी जाए। 1 / - 99 साल की अवधि के लिए प्रति माह।

उपरोक्त निर्णय की कार्यान्वयन रिपोर्ट कृपया इस सूचना की प्राप्ति के एक पखवाड़े के भीतर इस विभाग को भेजी जा सकती है।

एसडी /

एडल्ट। सचिव

(जीएडी) "

19. इसके अलावा, नियम 8 पट्टा राशि का भुगतान करने का प्रावधान करता है। जिसमे

पट्टा देने के समय, अपीलार्थी को, जो एक सोसाइटी है, नियम 8 (1) (ii) के तहत पट्टा राशि का भुगतान पट्टे पर दी गई भूमि के नवीनतम उच्चतम बाजार मूल्य के 8 प्रतिशत पर या पांच साल के औसत बाजार मूल्य से दोगुना, जो भी कम हो, करना पड़ता था। नियम 8 (1) का प्रावधान राज्य सरकार को योग्य मामलों में पट्टा राशि को कम करने का अधिकार देता है और यह निम्नानुसार है:

और निम्नानुसार प्रति वर्ष व्यक्ति: बशर्ते कि राज्य सरकार इस राशि को कम कर सकती है

योग्य मामलों में विशेष कारण "।

इसलिए, राज्य सरकार ने एच. पी. पट्टा नियम, 1993 के नियम 8 (1) के प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सचेत निर्णय लिया और रुपये की सांकेतिक दर पर पट्टा प्रदान किया। 1 / - प्रति माह।

20. श्री पटवालिया द्वारा उल्लिखित उपरोक्त सामग्री और परिस्थितियों के आधार पर, उनका निवेदन था कि अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था, कम से कम पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत और उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में अभ्यास को विभिन्न निर्णयों को प्रचुर मात्रा में उद्धृत करने तक सीमित करके और उस आधार पर, अपीलार्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए इन पहलुओं पर पूरी तरह से प्रकाश डाला है, बिना किसी चर्चा के कि उन निर्णयों में निहित सिद्धांत तत्काल मामले में कैसे लागू होते हैं।

21. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, बस

क्योंकि इसके बाद आरोप पत्र दायर किया गया है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को लेने का आदेश

v.

संज्ञान पारित किए जाने का मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी इन मामलों पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि आरोप पत्र और संज्ञान आदेश को भी 2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 135 दायर करके चुनौती दी गई है, जो उनके अनुसार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य है कि Cr.P.C की धारा 482 के तहत याचिकाओं से उत्पन्न अपीलें इस न्यायालय में लंबित हैं और वे घटनाएं इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान हुईं। उन्होंने दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली बनाम के मामलों का उल्लेख किया। गुजरात राज्य & Ors.5 और मोनिका कुमार & अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.6, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस न्यायालय के पास रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है

एफ. आई. आर., आरोप पत्र, आरोप आदि अनुच्छेद 32,136 और 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए और यह कि न्यायालय की इस शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनके अनुसार, वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता आरोप लगा रहे हों कि न्यायिक आदेश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ताओं ने दलील दी है कि:

( i) उनकी ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं है और तथ्यों का खुलासा नहीं होता है।

कोई अपराध;

( (ii) अपीलार्थियों के मामले को संसाधित करने वाले सभी अधिकारी नहीं हैं।

मुकदमा चलाया गया;
( iii) अपीलार्थियों के मामले को संसाधित करने वाले दो अधिकारियों सुभाष अहलूवालिया और टी. जी. नेगी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा क्रमशः मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था।

मुकदमा नहीं चलाया गया;
( (iv) अधिकारियों की ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं किया गया है और उन्होंने अपने उचित प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन किया है जिसके कारण

केंद्र सरकार और सीवीसी ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

( vi) "कांग्रेस आरोप पत्र" के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी;
( vii) जांच की निगरानी प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी।

नंबर 2;

( (viii) दाखिल किया गया आरोप-पत्र इस दागी जांच का परिणाम है;

5 ( 1991 ) 4 एस. सी. सी. 406

( ix) अभियोजन दुर्भावनापूर्ण और व्यक्तिगत रूप से निपटाने के लिए परेशान करने वाला है

राजनीतिक अंक;
( x) अन्यथा भी राज्य सरकार उस भूमि की स्वामी बनी रहती है जो पट्टे पर है और जिस पर अपीलार्थी हैं।

150 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का निर्माण किया है;

( xi) ये परिसंपत्तियाँ राज्य की जनता के उपयोग के लिए हैं और इनका उपयोग इस रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा, आरोप पत्र दायर करना और संज्ञान लेने का आदेश अंतिम न्यायिक आदेश नहीं है। यह आपराधिक कानून में एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और इसे उच्च न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है।

इस न्यायालय जैसे मंच।
22. विद्वान वरिष्ठ वकील की अंतिम प्रस्तुति यह थी कि, किसी भी मामले में

मामला, अधिक से अधिक मामला अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के बीच दीवानी विवाद का विषय हो सकता था, लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के साथ अपीलार्थियों को परेशान करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का दुर्भावनापूर्ण रूप से आवरण दिया गया है। कानून का हितकारी सिद्धांत, अर्थात। एक्टस रेउस नॉन फेसिट रेउम निसी मेन्स सिट रिया को उच्च न्यायालय द्वारा गलती से नजरअंदाज कर दिया गया है और उन्होंने सी. के. जाफर शरीफ बनाम के मामले का हवाला दिया। राज्य और आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम। केरल राज्य 3. उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित एक अन्य मामले में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ए. एन. शर्मा बनाम के मामले में भी यही विचार लिया गया है। एच. पी. राज्य (क्र. एम. एम. ओ. सं. 134/2015) जिसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है।

हरियाणा और ओआरएस। वी. भजन लाल और अन्य। ' और विनीत कुमार और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. 10 24. जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य पहले ही

इन आपराधिक कार्यवाही को जारी नहीं रखने का निर्णय लिया। उन्होंने, वास्तव में, अपीलार्थियों के मामले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि राज्य ने

यदि इन कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहाँ एक था

7 ( 2013 ) 1 एससीसी 205 8 (2003) 9 एससीसी 700 9 (1992) पूरक।

( 1 ) एस. सी. सी. 335 10 ओ. (2017) 13 एस. सी. सी. 369 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

अपीलार्थियों द्वारा मांगी गई राहत और अपीलार्थियों द्वारा दिए गए तर्कों के खंडन के लिए प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कड़ा विरोध।

25. प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका थी

शुरुआत से ही निष्फल क्योंकि 18 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिनमें से केवल अपीलार्थी संख्या 2 ने इसे रद्द करने की मांग की थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि, किसी भी मामले में, उसी दिन उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल, 2014 को विवादित निर्णय देते हुए जांच एजेंसी ने धारा 173 के तहत चालान दायर किया और उसके अवलोकन पर विशेष अदालत ने दिनांकित आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया

6 सितंबर, 2014 को अभियुक्त व्यक्तियों को समन जारी किया गया। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका, किसी भी मामले में, उपरोक्त घटनाओं के कारण निष्फल हो गई थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जहां तक अपीलकर्ता संख्या 1, अर्थात् हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का संबंध है, उसे अभियुक्त व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। नहीं।

इसके खिलाफ चालान दायर किया गया था और इसलिए कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया था।

26. दुर्भावनापूर्ण आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि

तत्कालीन सरकार द्वारा भूमि आवंटन आदि में की गई अनियमितताओं के कारण, यह वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में एक मुद्दा था और कांग्रेस ने 'कांग्रेस आरोप पत्र' तैयार करते हुए उपरोक्त अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत की थी। इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध से था। वास्तव में, पिछली सरकार के कुकर्म उजागर हो गए थे। जो भी हो, 2012 के चुनावों के बाद, जब पूर्ववर्ती सरकार सत्ता में वापस नहीं आई, तो अपीलार्थी संख्या 1 के मामलों की जांच का आदेश दिया गया, जो था

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए. सी. बी.) द्वारा संचालित। उक्त जाँच के परिणामस्वरूप, एफ़. आई. आर. दर्ज की गई जिसकी परिणति चालान दाखिल करने में हुई क्योंकि आवश्यक सामग्री एकत्र करके प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। वह.

ललिता कुमारी बनाम के मामले में संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार & Ors.[11] जिसके अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या जानकारी प्राप्त हुई है, किसी भी संज्ञेय का खुलासा करती है

अपराध। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

27. गुण-दोष के आधार पर, श्री चौधरी ने प्रस्तुत किया कि अंतिम रिपोर्ट और परिणामस्वरूप संज्ञान आदेश के आधार पर धोखाधड़ी/धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखाधड़ी विश्वास का आपराधिक उल्लंघन/आपराधिक दुराचार/जनता का दुरूपयोग अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ करोड़ों रुपये की भूमि/राज्य के खजाने को नुकसान का हिसाब लगाया जाता है। इसलिए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है। इस संबंध में रिलायंस को एक

भारतीय तेल निगम बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य। 12 1 2. :

" 12. शिकायतों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित सिद्धांत और इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में आपराधिक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है और उसे दोहराया गया है। कुछ का उल्लेख करें-माधवराव जीवाजीराव

सिंधिया बनाम. संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे [(1988) 1 एस. सी. सी. 692: 1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 234], हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 426], रूपन देओल बजाज बनाम। कंवर पाल सिंह गिल [(1995) 6 एससीसी 194: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1059], केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम। डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(1996) 5 एस. सी. सी. 591: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1045], बिहार राज्य बनाम। राजेन्द्र अग्रवाल [(1996) 8 एस. सी. सी. 164: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 628], राजेश बजाज बनाम। दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [(1999) 3 एस. सी. सी. 259: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 401], मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड v. बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड [(2000) 3 एस. सी. सी. 269: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 615], हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम। बिहार राज्य [(2000) 4 एस. सी. सी 168 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 786], एम. कृष्णन बनाम। विजय सिंह

[ ( 2001 ) 8 एस. सी. सी. 645 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 19] और ज़ंडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड v. मोहम्मद. शराफुल हक [(2005)

1 एससीसी 122: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 283] हमारे लिए प्रासंगिक सिद्धांत

उद्देश्य इस प्रकार हैं:

( i) एक शिकायत को रद्द किया जा सकता है जहां शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ कथित मामला नहीं है।

इस उद्देश्य के लिए, शिकायत की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए,

लेकिन आरोपों के गुण-दोष की जांच किए बिना। खारिज करने की प्रार्थना की जांच करते समय न तो विस्तृत जांच की जाती है और न ही सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और न ही शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता का आकलन किया जाता है।

एक शिकायत।

12 ( 2006 ) 6 एस. सी. सी. 736 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

( (ii) एक शिकायत को भी रद्द किया जा सकता है जहां यह स्पष्ट रूप से दुरुपयोग है।

न्यायालय की प्रक्रिया, जैसे कि जब आपराधिक कार्यवाही पाई जाती है

तोड़फोड़ के लिए दुर्भावना/द्वेष के साथ शुरू किया गया है प्रतिशोध या नुकसान पहुँचाना, या जहाँ आरोप बेतुके हैं

और स्वाभाविक रूप से असंभव है।

( iii) हालांकि, रद्द करने की शक्ति का उपयोग दबाने या दबाने के लिए नहीं किया जाएगा।

एक वैध अभियोजन को रद्द करें। बिजली का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए।

और बहुत सावधानी के साथ।

( (iv) कानूनी शिकायत को मौखिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

अपराध के घटकों का आरोप लगाया गया। यदि आवश्यक तथ्यात्मक शिकायत में नींव रखी गई है, केवल इस आधार पर कि कुछ अवयवों को विस्तार से नहीं बताया गया है, कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत को रद्द करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब शिकायत में उन बुनियादी तथ्यों की कमी हो जो अपराध का पता लगाने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं।

( v) तथ्यों का एक दिया गया समूह यह साबित कर सकता है: ( ए) विशुद्ध रूप से एक दीवानी गलती; या (बी) विशुद्ध रूप से एक आपराधिक अपराध; या (सी) एक दीवानी गलती के रूप में एक आपराधिक अपराध भी। वाणिज्यिक लेन-देन या संविदात्मक विवाद, इसके अलावा दीवानी कानून में उपचार की मांग के लिए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करने से, एक आपराधिक अपराध भी शामिल हो सकता है। ए की प्रकृति और दायरे के रूप में

दीवानी कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से अलग होती है, केवल यह तथ्य कि शिकायत एक वाणिज्यिक लेनदेन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है, जिसके लिए एक दीवानी उपचार उपलब्ध है या जिसका लाभ उठाया गया है, अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। जाँच ई अछि कि शिकायतमे आरोप अछि कि नहि।

आपराधिक अपराध का खुलासा करें या न करें "।

28. प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों को तुच्छ बताते हुए, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इसमें कोई योग्यता नहीं पाई है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा कि एक बार आरोप पत्र दायर होने के बाद, ऐसी याचिका निरर्थक हो जाती है जैसा कि ए. पी. v. गोलकोंडा लिंग स्वामी और

एन. आर. 1 3 और उमेश कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और Anr.[1]4। विद्वान वरिष्ठ वकील ने विचाराधीन मामले को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के कदम पर भी सवाल उठाया। यह तर्क दिया गया कि कोई नया आधार या बाद का पहलू सामने नहीं आया है या सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आया है

13 ( 2004 ) 6 एस. सी. सी. 522

14 ( 2013 ) 10 एस. सी. सी 591 [2018] 13 एस. सी. आर.

ऐसा करने के लिए और इसलिए, कार्रवाई का ऐसा तरीका नहीं था तमिलनाडु और अन्य राज्यों में आयोजित अनुमेय। वी. के. श्याम सुंदर और अन्य। 1 5 15, आंध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम

फेडरेशन वी। बी. नरसिम्हा रेड्डी और Ors.[1]6 और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। निशांत सरीन 1 7. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि कानून में निर्धारित एकमात्र प्रक्रिया Cr.P.C की धारा 321 का मार्ग अपनाना था. जो तत्काल मामले में नहीं हुआ है।

29. अपीलार्थियों की इस दलील का जवाब देते हुए कि यह एक नागरिक विवाद था, श्री चौधरी ने तर्क दिया कि एफ. आई. आर./अंतिम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

कि धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात/आपराधिक दुराचार, साजिश और सबूतों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं

अभियुक्त व्यक्ति, इसलिए, यह केवल एक दीवानी मामला नहीं था और इस प्रकार, अधिकारियों ने सही ढंग से प्राथमिकी दर्ज की है और आपराधिक कार्यवाही दर्ज की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संज्ञान के समय, सभी लोक सेवकों (जहां भी लागू हो) के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी थी और अगर मंजूरी बाद में वापस ले ली जाती है, तो भी यह मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि दो शेष अभियुक्तों यानी अजय शर्मा और दीपक सनन के मामले में चालान पेश नहीं किया गया था।

पी. सी. अधिनियम के तहत मंजूरी, क्योंकि मंजूरी लेने की अनुमति लंबित थी

हालांकि राज्य सरकार द्वारा आई. पी. सी. अपराधों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी ली गई थी। एच. सी. एस. अधिकारी गोपाल चंद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी शुरू में दी गई थी, लेकिन बाद में परिस्थिति में कोई बदलाव किए बिना वापस ले ली गई। अभियोजन मंजूरी की गैर-मंजूरी/आवश्यकता की आवश्यकता का निर्णय मुकदमे के दौरान निचली अदालत द्वारा किया जा सकता है और यह हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के लिए पूरे अभियोजन को रद्द करने की मांग करने का आधार नहीं है।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अभियोजन न चलाने का भी बचाव किया

अजय शर्मा और दीपक सनन, दो आई. ए. एस. अधिकारी। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि अपीलार्थी संख्या 2 के खिलाफ आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था और इसलिए आरोप पत्र को रद्द करने का कोई कारण नहीं था।

31. जहाँ तक 2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 135 का संबंध है, यह तर्क दिया गया था कि ऐसी रिट याचिका अनुच्छेद के तहत बनाए रखने योग्य नहीं थी 32 संविधान का, विशेष रूप से, जब संज्ञान का आदेश नहीं दिया गया था

15 ( 2011 ) 8 एससीसी 737

16 ( 2011 ) 9 एस. सी. सी. 286

17 ( 2010 ) 14 एस. सी. सी. 527 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v. हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

बिल्कुल भी चुनौती दी। उज्जम बाई बनाम में निर्णयों से समर्थन। U.P.[1]8 की स्थिति, नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्र. 19 और उत्तरी निगम बनाम। भारत संघ और Ors.20 को इस ओर से लिया गया था। उन्होंने दोहराया कि गंभीर आरोप थे

अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ और इसलिए, आरोप पत्र/चालान को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाया गया था। 32. इससे पहले कि हम पक्षकारों के वकील की दलीलों पर विचार-विमर्श करें और अपने निष्कर्ष पर पहुँचें,

अपीलार्थियों और अन्य लोगों पर लगाए गए कथित आपराधिकता के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ घटनाओं को संक्षेप में दोहराने के लिए उपयुक्त होगा। अपीलार्थी संख्या 1 को शुरू में वर्ष 1990 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह अब धारा 25 के तहत निगमित एक गैर-लाभकारी कंपनी है।

कंपनी अधिनियम, 1956। इनमें से एक आरोप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत सोसायटी को मानित कंपनी में बदलने में की गई तथाकथित अवैधताओं से संबंधित है। वैसा ही रहे।

मई, सोसायटी ने अपने गठन के बाद, गाँव मौज और तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में भूमि के निर्माण के लिए आवेदन किया था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश युवा सेवा और खेल विभाग के निदेशक के माध्यम से अपीलार्थी संख्या 1 और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच एक उचित पट्टा निष्पादित किया गया था। हुआ है।

राज्य सरकार को इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने का अधिकार देता है और इस आशय का निर्णय राज्य में ऐसे स्टेडियम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुत उच्च स्तर पर उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया था, जिसमें कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। 33. अपीलार्थी नं. 1 को भूमि के आवंटन के बाद, इसने क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया। अपीलार्थी एक विश्व बनाने का इच्छुक था

क्लास क्रिकेट स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी भी कर सकता है। इसके लिए उसने आई. सी. सी. को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आई. सी. सी. ने अपने मैच रेफरी श्री एलन हर्स्ट के माध्यम से स्टेडियम और खेल के मैदान का निरीक्षण कराया। उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया और 20 सितंबर, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस स्तर पर आयोजन स्थल को मंजूरी नहीं दी गई थी।

18 ( 1963 ) 1 एससीआर 778

19 आकाशवाणी 1967 एससी 1

20 ( 1990 ) 4 एससीसी 239 [2018] 13 एस. सी. आर.

अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करना। उक्त रेफरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि क्षेत्र में पर्याप्त होटल सुविधाएं नहीं थीं और इसलिए, 'टूर सपोर्ट की कमी थी'। श्री हर्स्ट को दो होटल दिखाए गए और उन्होंने पाया कि उनमें से प्रत्येक जमीन से काफी दूरी पर थे। इसके अलावा, उक्त होटलों में सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं थीं। इसके बावजूद, जहां तक क्रिकेट मैदान का सवाल है, मैच रेफरी ने इसकी गुणवत्ता और सेटिंग के लिए इसकी सराहना की थी। यह उनकी रिपोर्ट में सामान्य टिप्पणियों/सिफारिशों/निष्कर्षों और प्रासंगिक भाग से देखा जा सकता है जो नीचे दिया गया है:

" इस मैदान में सबसे अच्छी सेटिंग है जिसकी कल्पना की जा सकती है। लोगों ने

इसके विकास में शामिल अभिनव रहे हैं और हैं

भावुक और दूरदर्शी। उन्होंने अब तक इस मैदान को प्राप्त करने में बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें बधाई और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्याप्त वित्त के साथ, निकट भविष्य में, यह मैदान देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बन सकता है। खेल के दौरान कॉर्पोरेट बॉक्स के रूप में दोहरे उपयोग के साथ मैदान के एक अभिन्न अंग के रूप में एक 'होटल' होने का विचार नया नहीं है, हालांकि, हिमालय और आसपास के क्षेत्र के 360 डिग्री दृश्यों के साथ शीर्ष के लिए योजनाबद्ध गोलाकार रेस्तरां इसे अद्वितीय बना देगा।
यह कहने के बाद, मेरा मानना है कि इस स्तर पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के आयोजन के लिए इसकी उपयुक्तता से संबंधित है। मुझे सूचित किया गया है कि हाल ही में सब कुछ पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त किया गया है और अब आगे का काम चल रहा है। मैंने नीचे उन मुद्दों को सूचीबद्ध किया है जिनसे मुझे अभी भी चिंता है और जिन चीजों को बदलने की आवश्यकता है। अगर इन सभी चीजों को संबोधित किया जाता है, तो मुझे इस मैदान को अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय आयोजन स्थल के रूप में उपयुक्त बनाने की सिफारिश करने में कोई संकोच नहीं होगा। प्रशासकों ने मुझे यह सुनिश्चित किया है कि इन सभी चीजों को तत्काल संबोधित किया जाएगा। वे जल्द से जल्द बी. सी. सी. आई. ग्राउंड रोटेशन प्रणाली में आने के लिए बेहद उत्सुक हैं।

34. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री हर्स्ट का विचार था कि इस सुरम्य स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ क्रिकेट का मैदान हो सकता है। इसे देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट मैदानों में से एक के रूप में परिवर्तित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए उपयुक्त होगा यदि उसमें बताई गई कमियों का ध्यान रखा जाए। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा (जिनका आसानी से ध्यान रखा जा सकता है), मुख्य चिंता हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संगठन v.

हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

खेल के दौरान कॉर्पोरेट बॉक्स के रूप में दोहरे उपयोग के साथ मैदान के एक अभिन्न अंग के रूप में एक होटल होना था। उपरोक्त के कारण, अपीलार्थी संख्या 1 ने पट्टा भूमि पर एक क्लब हाउस का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की और उपरोक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक होटल के निर्माण के उद्देश्य से कुछ अन्य भूमि के आवंटन की भी मांग की। तदनुसार, इसने पट्टा भूमि पर एक क्लब हाउस के निर्माण के लिए पदोन्नति के लिए अनुरोध भेजा, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिया गया था।

35. जहाँ तक होटल के निर्माण का संबंध है, अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि के बीच में बेकार भूमि का एक टुकड़ा था और इस भूमि के आवंटन के लिए निदेशक, युवा सेवा और खेल को अनुरोध किया गया था। यह भूमि ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत ने आवंटन के लिए कोई आपत्ति जारी नहीं की 14 सितंबर, 2009 को भूमि, जिसके अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने 16 नवंबर, 2009 को अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में इस भूमि को पट्टे पर देने की मंजूरी दी और पट्टा विलेख भी 14 दिसंबर, 2009 को निष्पादित किया गया था। इसके बाद, होटल के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त भूमि दी गई।

36. विशेष रूप से, जहां तक इस पट्टा विलेख का संबंध है, चूंकि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य, अर्थात् क्लब हाउस के लिए किया जाना था, इसलिए इसने वाणिज्यिक दर यानी उस बाजार दर पर किराया प्रदान किया जो अपीलार्थी संख्या 1 को भुगतान करना था। पट्टे के निष्पादन के बाद, क्लब हाउस का निर्माण किया गया और नगर और देश योजना विभाग, धर्मशाला ने क्रिकेट गतिविधियों के लिए क्लब हाउस के रूप में क्रिकेट स्टेडियम के बुनियादी ढांचे के हिस्से के उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया। यह भी उल्लेख करना उचित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (राजस्व) ने अतिरिक्त भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्षम करने वाले पूरक पट्टे के निष्पादन के लिए कोई आपत्ति जारी नहीं की, बशर्ते कि पट्टे की राशि पट्टे के अनुसार ली गई हो।

नियम, 2011। इसके परिणामस्वरूप 23 जून, 2012 के पूरक पट्टा विलेख का निष्पादन हुआ, जिस पर आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक होटल का निर्माण किया गया था।

37. उपरोक्त घटनाओं से निम्नलिखित पहलुओं को देखा जा सकता है -

बाहर: अपीलकर्ता संख्या 1 को उस भूमि का पट्टा दिया गया है जिस पर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया था और उसके बाद क्लब हाउस के लिए अतिरिक्त भूमि का पट्टा दिया गया है और वाणिज्यिक गतिविधि के लिए पूरक पट्टा भी दिया गया है।

होटल। यह केवल उस भूमि के संबंध में है जो क्रिकेट स्टेडियम के लिए है जो रुपये का किराया है। 1 / - प्रति माह शुल्क लेने के लिए सहमत था नियम 8 के लिए प्रावधान का आह्वान करना। अतः यह कानून के विपरीत नहीं है। हिमाचल राज्य में कोई क्रिकेट मैदान नहीं था, बहुत कम अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान था। यही कारण है कि यह भूमि क्रिकेट मैदान के निर्माण के उद्देश्य से पट्टे पर दी गई थी, जो कि आपका गौरव बन सकता है।

नियम, 2011, अर्थात् वाणिज्यिक दरों पर। उपरोक्त आवंटन में शायद ही आपराधिकता का कोई तत्व हो क्योंकि राज्य सरकार के छह बहुत वरिष्ठ अधिकारी (उनमें से चार आई. ए. एस. संवर्ग के और एक हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से संबंधित) जिन्होंने मामले की जांच की थी और उनकी मंजूरी के बाद ही आवंटन किए गए थे। उनके लिए कोई दोष नहीं है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। 38. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को निदेशक-सह-विशेष सचिव, युवा सेवा और खेल विभाग के साथ-साथ सचिव, युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा देखा गया था और यह है

उनके द्वारा प्रस्ताव की जांच और उनकी अंतिम मंजूरी के बाद ही, विचाराधीन भूमि आवंटित की गई थी।

39. प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उसके समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त स्थिति के अनुसार

रिपोर्ट के साथ-साथ एफ. आई. आर., अपीलार्थियों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप जो अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, वे हैं कि अपीलार्थी संख्या 2 अन्य अभियुक्तों के साथ अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। यह आरोप लगाया जाता है कि तत्कालीन उपायुक्त श्री आर. एस. गुप्ता ने संभागीय वन अधिकारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए रिपोर्ट तैयार की थी, जिन्होंने उस समय पेड़ों के मूल्य का आकलन Rs.50 लाख पर किया था, जिससे सरकार को गलत नुकसान हुआ था। इसके अलावा, तत्कालीन राजस्व सचिव श्री दीपक सनन ने अभियुक्त व्यक्तियों को एक वाणिज्यिक होटल स्थापित करने और चलाने की अनुमति देने के लिए सहायता प्रदान की और इस मामले को मंत्रिमंडल में नहीं ले जाया गया जो एच. पी. के कार्य नियमों की अनुसूची 20 का उल्लंघन था। यह भी आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सोसाइटी का विलय केवल राज्य सरकार को इसे नियंत्रित करने से रोकने के लिए एक कंपनी में किया गया था। ये मुख्य आरोप हैं।

40. जहां तक अन्य आरोपों का संबंध है, दो अधिकारियों, श्री आर. एस. गुप्ता और श्री दीपक सनन को फंसाया गया है।

ऐसा करते हुए, निर्णय लेने में सक्रिय भाग लेने वाले अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को छुआ नहीं गया है।

41. दो एफ. आई. आर. एस. में, सात आई. ए. एस. अधिकारी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से संबंधित एक अधिकारी और एक कार्यकारी अभियंता,

हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में धर्मशाला डिवीजन ने खेला

एक या दूसरे स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। बीच में, एफ. आई. आर. एस. में, इन नौ अधिकारियों को भी फंसाया गया था और उनकी विशिष्ट भूमिका का श्रेय दिया गया था, जिसका श्री पटवालिया की दलीलें दर्ज करते समय सारणीबद्ध प्रारूप में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि

श्री सुभाष अहलूवालिया (आई. ए. एस.) निदेशक-सह-विशेष

अधिकारीगण, अभियोजन मंजूरी को अस्वीकार कर दिया जाता है। इससे केवल लोक निर्माण विभाग में धर्मशाला प्रभाग के कार्यकारी अभियंता श्री देवी चंद चौहान ही बचे हैं, हालांकि उनके मामले में भी अभियोजन की मंजूरी पहले खारिज कर दी गई थी, लेकिन बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर दी गई थी। दो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिन्होंने क्लब हाउस के लिए भूमि आवंटन के लिए कोई आपत्ति जारी नहीं की थी, जिन पर मुकदमा चलाया गया है। ये तीनों अधिकारी लोक सेवक हैं जो अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में बने हुए हैं। इस अदालत को यह आभास होता है कि [2018] 13 एस. सी. आर. द्वारा प्रस्तुत पूरी साजिश की कहानी में।

अभियोजन पक्ष, उच्च सरकारी अधिकारियों को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है और बहुत ही कनिष्ठ अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पी. सी. अधिनियम के तहत एक मामला अपीलार्थियों के संबंध में भी जीवित रहे जो लोक सेवक नहीं हैं। अन्यथा भी, जब उपरोक्त आठ व्यक्तियों पर अभियोजन के अभाव में आरोप नहीं लगाया जाता है या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह अपीलार्थियों के आरोपों को उनके अभियोजन के उद्देश्यों को आरोपित करने में समर्थन देता है।

42. यह न्यायालय, मामले की 360 डिग्री जाँच पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आपराधिक इरादे या आपराधिक कृत्यों के तत्वों की कमी है। निम्नलिखित कारक अभिलेख से स्थापित होते हैं:

( i) उनकी ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं है और तथ्य किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं; ( (ii)
अपीलार्थियों के मामले को संसाधित करने वाले अधिकारियों में से कोई भी नहीं

मुकदमा नहीं चलाया जाता है;

( iii) निर्णय लेने में सक्रिय भाग लेने वाले दो अधिकारियों सुभाष अहलूवालिया और टी. जी. नेगी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा क्रमशः मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था और

मुकदमा नहीं चलाया गया;

( iv) अभियोजन पक्ष के अनुसार, अधिकारियों की ओर से कोई आपराधिक कार्य नहीं होता है और उन्होंने अपना उचित प्रशासनिक कार्य किया है।
शुल्क जिसके कारण केंद्र सरकार और सीवीसी द्वारा मंजूरी अस्वीकार कर दी गई है। यही दूसरों को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त है।

किसी भी आपराधिक अभियोजन से;

( x) अन्यथा भी राज्य सरकार उस भूमि की स्वामी बनी रहती है जो पट्टे पर है और जिस पर अपीलार्थी हैं।

150 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का निर्माण किया है;

( xi) ये परिसंपत्तियाँ राज्य की जनता के उपयोग के लिए हैं और इनका उपयोग इस रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा, आरोप पत्र दायर करना और संज्ञान लेने का आदेश अंतिम न्यायिक आदेश नहीं है। यह आपराधिक कानून में एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और इसे उच्च न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है।

इस न्यायालय जैसे मंच।

43. जहाँ तक सोसायटी को गैर-लाभकारी कंपनी में बदलने की बात है

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत, यह स्पष्ट रूप से बी. सी. सी. आई. के जनादेश के अनुसार किया गया था। इसमें शायद ही आपराधिकता का कोई तत्व हो। यह न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि कोई आपराधिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ v.

उक्त सोसायटी को एक कंपनी में विलय करने के इरादे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वह भी राज्य सरकार को इसे नियंत्रित करने से रोकने के लिए, जो स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है। बल्कि यह राज्य सरकार के इरादे को दर्शाता है जो क्रिकेट संघ का नियंत्रण हड़पना चाहती थी। राज्य अधिकारियों की ओर से इस तरह की प्रवृत्ति की पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निंदा की जाती है और इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगर ऐसा है तो यह राज्य सरकार का प्रतिबिंब है। यह अपीलार्थियों के निवेदन को भी विश्वास दिलाता है कि जब राज्य सरकार उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहती है, तो वह अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। यदि बिल्कुल भी हो, तो विषय वस्तु अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के बीच एक नागरिक विवाद था।

44. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि अभिलेख से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने व्यक्तिगत रूप से जाँच की निगरानी की। लेकिन हम टाल रहे हैं

इस बारे में चर्चा कि क्या आरोप पत्र दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि, प्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी/धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन साथ ही, यह

यह इंगित करना आवश्यक होगा कि धारा 482 Cr.P.C के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर कार्यवाही में, प्रतिवादी संख्या 2 को शामिल किया गया था क्योंकि दुर्भावनापूर्ण आरोपों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। चूंकि हम इन आरोपों पर गौर नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 की इन कार्यवाही में ज्यादा भूमिका नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वह एक आवश्यक पक्ष नहीं है और अभियोजन पक्ष का बचाव करना उसका काम नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इन मामलों पर मुकदमा नहीं चलाने के लिए उठाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, अन्यथा भी, इन कार्यवाहियों को जारी रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

45. हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क कि अपीलें निष्फल हो गई हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

46. हम Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे से अवगत हैं। अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा प्रयोग को उचित ठहराया जाए। इसके अलावा, इस प्रावधान के तहत अंतर्निहित शक्ति नियम नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है। अपवाद केवल तभी लागू होता है जब यह न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि न्याय का गंभीर गर्भपात किया जाएगा यदि मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है जहां आरोपी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा। यदि मुकदमे को लंबे समय तक चलने दिया जाता है जब प्रथम दृष्टया यह अदालत को प्रतीत होता है कि मुकदमा चल सकता है बरी होने की संभावना है। यह, इस कारण से, सिद्धांत है जो निर्णयों के आधार पर निर्धारित किया गया है कि शक्ति का प्रयोग [2018] 13 एस. सी. आर. द्वारा किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। हालांकि, जब भी यह पाया जाता है कि मामला उपरोक्त मापदंडों के चार कोनों के भीतर आ रहा है,

इस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय के पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं। इसका मतलब है कि न्यायालय को बहुत सावधानी के साथ अभ्यास करना होगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय को तब बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब परिस्थितियाँ पक्षों को पर्याप्त न्याय देने के लिए ऐसी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है। भजन लाल के मामले में इस प्रावधान पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है जो लोकस क्लासिकस बन गया है। सिद्धांत संख्या। ( अतः भारतीय तेल निगम के (i) और (ii) लागू हो जाते हैं। विनीत कुमार के मामले में हाल के एक फैसले में पूरे विषय पर फिर से विचार किया गया है और उसमें कुछ चर्चा जो पहले के फैसलों पर ध्यान देती है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" 26. कर्नाटक राज्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाम। एम.

देवेंद्रप्पा [कर्नाटक राज्य बनाम। एम. देवेंद्रप्पा, (2002) 3 एससीसी 89: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 539] के पास आई. पी. सी. की धारा 482 के दायरे पर विचार करने का अवसर था। खंड के दायरे का विश्लेषण करके

482 सी. आर. पी. सी., इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय का अधिकार न्याय की प्रगति के लिए मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। इसने आगे कहा कि न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगा यदि वह पाता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता

अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाहियों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। द.

पैरा 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: ( एस. सी. सी पी. 94)

" 6. ..... सभी न्यायालय, चाहे दीवानी हों या आपराधिक, अपने संविधान में निहित किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, ऐसी सभी शक्तियां रखते हैं जो सही काम करने और गलत काम को ठीक करने के लिए आवश्यक हैं। न्याय
प्रशासन की प्रक्रिया इस सिद्धांत पर होती है कि कानून किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है जो उसे देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का अभ्यास धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित

ठहराया जाता है। इसके प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए ऋण-रहित न्याय का प्रयोग किया जाना है, जिसके लिए अचल प्रदेश क्रिकेट संगठन v.

हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

केवल अदालतें मौजूद हैं। न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। जब शिकायत द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता के पास क्या है, इसका आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है।

आरोप लगाया गया है और क्या कोई अपराध किया गया है, भले ही आरोप लगाए गए हों

पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

27. आगे पैरा 8 में निम्नलिखित कहा गया था: ( देवेंद्रप्पा मामला [कर्नाटक राज्य बनाम। एम. देवेंद्रप्पा, (2002) 3 एससीसी

89 : 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 539], एस. सी. सी. पी. 95 )

" 8. ..... न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और सभी प्रासंगिक तथ्यों को लेना चाहिए और

प्रक्रिया जारी करने से पहले परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, अन्यथा यह किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध शुरू करने के लिए एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन होगा। साथ ही यह धारा किसी अभियुक्त को अभियोजन को शॉर्ट-सर्किट करने और उसकी अचानक मृत्यु लाने के लिए सौंपा गया साधन नहीं है। संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा और उन मामलों की श्रेणियां जहां उच्च न्यायालय किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम में कुछ विस्तार से निर्धारित किया गया था। भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट (1)

एससीसी 335: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 426 "।

तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने केवल उन फैसलों पर ध्यान दिया जो ऐसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सी के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सावधानी बरतते हैं और याचिका को खारिज कर

दिया।मामले की जांच करना, जिससे भौतिक तथ्यों पर प्रकाश डालना ऊपर उल्लेख किया गया है) और यह जांच करने में विफल रहना कि ये प्रासंगिक हैं [2018] 13 एस. सी. आर.

पहलू यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थे कि कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया था, विशेष रूप से जब सभी संबंधित अधिकारी, जिन्होंने

निर्णय, इस आधार पर छोड़ दिया गया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था

गलत है। 47. जहाँ तक 2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 135 का संबंध है, अपीलार्थी इस न्यायालय में संज्ञान के आदेश को चुनौती देते हुए आए थे

केवल इस कारण से कि मामला पहले से ही लंबित था क्योंकि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें प्राथमिकी/आरोप पत्र को रद्द करने के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इन विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका भी दायर की गई है।

मनोरंजन किया। किसी भी मामले में, एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि प्राथमिकी को रद्द करने की आवश्यकता है, तो संज्ञान का आदेश स्वचालित रूप से दूषित हो जाएगा।

48. नतीजतन, आपराधिक अपीलों को अनुमति दी जाती है जिससे उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है, याचिका को अनुमति दी जाती है। अपीलार्थियों द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर किया गया और प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया

आई. पी. सी. की धारा 406,420,120 बी और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 447 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 120 बी, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 2013 की संख्या 12 दिनांक 1 अगस्त, 2013। इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल

अपीलों और लिखित

याचिकाओं का निपटारा किया गया।